मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झॉसी

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
05/18/17	02/15/20	2 वर्ष, 8 माह, 28 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष	माह/दिनॉक/वर्ष	

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या–२१२/२०१७,

कु. हेमा उम्र १९ वर्ष पुत्री श्री खुशाली राम निवासी ग्राम व पोस्ट बिजौरा थाना टोडीफतेहपुर जिला झॉसी,

(द्वारा विद्वान् अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार गुप्ता)

---------याची

बनाम

१. कृष्णकांत तिवारी पुत्र काशीराम तिवारी निवासी १३२/४३२ एच–ब्लाक बाबूपुरवा टी. पी. नगर कानपुर,

................स्वामी ट्रक संख्या– यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९,

२. रामसजीवन पाल पुत्र श्री सुमेर पाल निवासी २५२ ई बर्रा–५ कानपुर नगर थाना बर्रा जिला कानपुर,

..............चालक ट्रक संख्या– यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९,

३. न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी ट्रांसपोर्ट नगर डी. ओ. १३३/२४२ टी. पी. नगर कानपुर जरिये मण्डलीय प्रबन्धक कचहरी चौराहा झॉसी,

(द्वारा विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला)

............बीमाकर्ता ट्रक संख्या– यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९,

---------विपक्षीगण

<u>अधिनिर्णय</u>

प्रस्तुत याचिका याची कु. हेमा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा १६६ व १४० के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आयी चोटों के कारण ₹१२,००,००/– क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनांक ११.०१.२०१७ को दोपहर १२:०० बजे ग्राम बिजोरा को आते समय लोहिया पुल के पहले लघुशंका करने के लिए सड़क से नीचे गई एवं लघुशंका करके जैसे ही सड़क पर आने को हुई तभी पेट्रोल टैंकर संख्या यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ के चालक ने टैंकर को तेजी व लापरवाही से चला कर याची में टक्कर मार दी जिससे याची गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई। उक्त घटना में गंभीर चोटे आईं जिससे दाएं पैर मे कंपाउंड फैक्चर हो गया व दर्द होने लगा, कंपन आ गया सिर में चक्कर आने लगे, आंखों में अंधेरा छाने लगा। बिना सहारे के दैनिक कार्य नहीं कर पा रही है एवं अपना स्वयं सिलाई कढ़ाई का कार्य एवं पढ़ाई नहीं कर पा रही है। याची को गंभीर चोटें आई तथा पैर में फ्रैक्चर आने से शारीरिक विकास रुक गया। याचिया का इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चला। याची १९ वर्ष की है तथा हाई स्कूल पास करके ऊंची क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रही थी तथा घर पर ही सिलाई कढ़ाई का कार्य से ₹१०,००० प्रति माह कमाती थी जिससे वह अपनी शिक्षा दीक्षा भरण पोषण एवं परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। चोटों के कारण स्थाई रूप से विकलांग हो गई एवं असहाय हो

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 11:07:05 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

गई और चोटों के कारण काफी मानसिक व शारीरिक प्रभाव पड़ा है। शारीरिक विकास रुक गया है। भविष्य में शादी न होने की प्रबल संभावना हो गई है।

३. विपक्षी सं. ३ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी की ओर से १२बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया है कि दुर्घटना नही हुई है। कथित दुर्घटना के दिनॉक व समय पर वाहन का बीमा नही था। वाहन चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था इस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है।

४. विपक्षी संख्या एक व दो के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए शेष पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक २५.०४.२०१९ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैः–

१. क्या दिनॉक ११.०१.२०१७ को समय दोपहर १२:०० बजे स्थान लोहिया पुल से पहले मऊ गुरसंराय रोड बहुत थाना गुरसराय झांसी, में पेट्रोल टैंकर संख्या यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ के चालक द्वारा टैंकर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए, याची कुमारी हेमा देवी लघुशंका करके जैसे ही सड़क पर आने को हुई, याची में टक्कर मार दी, जिससे याची को गंभीर चोटे आई?

२. क्या प्रश्न का दुर्घटना याची की योगदाई/अंशदाई उपेक्षा के कारण घटित हुई?

३. क्या प्रश्नगत दुर्घटना व समय पर पेट्रोल टैंकर संख्या यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था?

४. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक व समय पर पेट्रोल टैंकर संख्या यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ विपक्षी संख्या ३ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से विधिवत बीमित था और वाहन का संचालन बीमा शर्तों के अधीन किया जा रहा था?

५. क्या याची विपक्षीगण से प्रतिकर की धन राशि पाने के हकदार हैं, यदि हां तो कितनी व किससे?

५. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैः–

१– याची द्वारा फेहरिस्त ७सी१ से ८सी१ लगायत १०सी१ प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सालय मुक्ति पत्र, इंश्योरेंस पॉलिसी की छाया प्रतियॉ, प्रपत्र सं. २०सी आर.सी. की छाया प्रति,

२– याची द्वारा फेहरिस्त २१सी१ से २२सी१ लगायत ३२सी१ याची के घायल पैर के फोटोग्राफ, याची का आधार कार्ड, चोट प्रपत्र, चिकित्सालय मुक्ति पत्र, दवाओं के पर्चे की मूल प्रतियाँ; निरीक्षण रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त वाहन, प्रथम सूचना रिपोर्ट, दुर्घटना का नक्शा नजरी, आरोप पत्र की सत्य प्रतिलिपियॉ; पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट की मूल प्रतियां, विभिन्न बिलों की मूल प्रतियां, फेहरिस्त ४७सी१ से ४८सी१/१ लगायत ४८सी१/२० व फेहरिस्त ४२सी१ से ३० प्रपत्र सं. ४३सी१/१ लगायत ४३सी१/३१ चिकित्सीय दस्तावेज आदि व आर. सी. की छाया प्रति प्रपत्र सं. २०बीर/१ ,

३– विपक्षी सं. ३ की ओर से फेहरिस्त ५०सी१ से ५१सी१ ₹१७,७७९ के सत्यापित बिल,

४– याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ के रूप में याची कुमारी हेमा देवी स्वयं को तथा पी.डब्लू.२ के रूप में अजय नायक कनिष्ठ सहायक मेडिकल

कॉलेज झांसी को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

६. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

७. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. १</u>

वाद बिन्दु संख्या १ के सम्बन्ध में पी.डब्लू.१ ने यह कथन किया है कि वह दिनॉक ११.०१.२०१७ को समय १२ बजे दिन लोहिया पुल के पास लघुशंका करने गयी थी। जैसे ही वह वापस सड़क पर आई उसी समय पेट्रोल टैंकर नंबर यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ का चालक टैंकर को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ मऊरानीपुर साइड से आया और उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से उसके पैर में व कमर में चोट आई थी और सिर में भी चोट आई थी। दाहिने पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। टक्कर के बाद वह गुरसराय पी.एच.सी. गई। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज झांसी भेज दिया। मेडिकल कॉलेज में दिनांक ११.०१.२०१७ से ०२.०३.२०१७ तक वार्ड नंबर ३ पलंग नंबर १७ पर भर्ती रहकर इलाज कराया। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि सरकारी अस्पताल में इलाज का पैसा नहीं लगता है परंतु दवा का पैसा लगता है। इस समय वह अदालत में बिना सहारे के खड़ी है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने टक्कर मारने वाली गाड़ी का नंबर नहीं देखा था। पी.डब्ल्यू.२ मात्र हेमा देवी का बी.एच.टी. अस्पताल से लाने का साक्षी है। चिकित्सीय प्रपत्र दुर्घटना की गम्भीरता का समर्थन करते हैं। दुर्घटना का नक्शा नजरी निम्न प्रकार है–

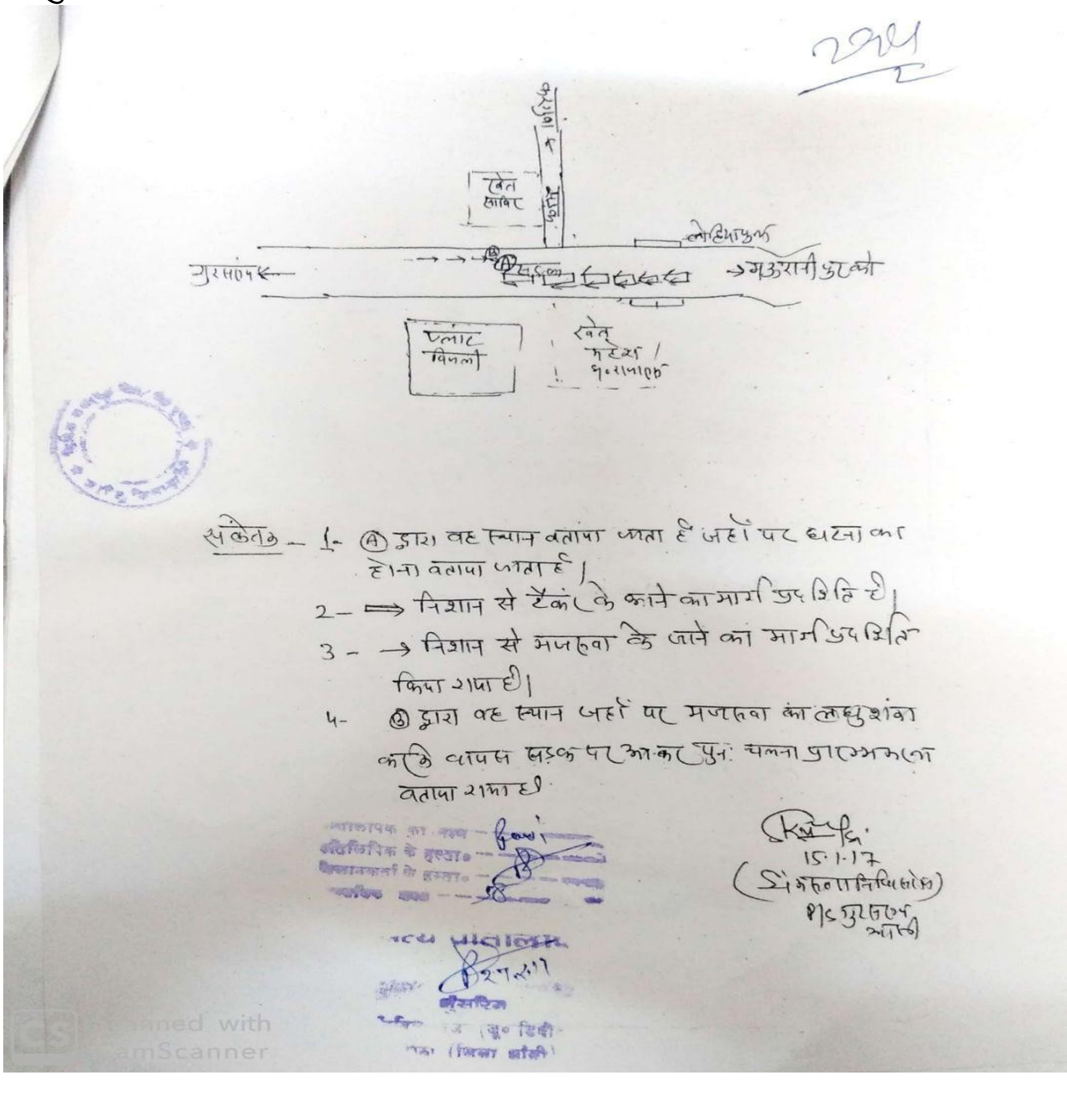

प्रस्तुत प्रकरण में थाने पर दुर्घटना की रिपोर्ट ३ दिन पश्चात याची के पिता द्वारा दर्ज कराई गई है जिसमें दुर्घटना कारित करने वाले टैंकर का नंबर यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ बताया गया है साथ ही अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में याची के पिता ने यह भी कहा है कि दुर्घटना को कई लोगों ने देखा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि याची दुर्घटना कार्य करने वाले वाहन का नंबर नहीं देख पाई है बल्कि याची के पिता द्वारा दुर्घटना को देखे जाने वाले लोगों से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हलांकि विपक्षी सं. ३ के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याची की ओर से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर देखने वाले किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है और याची ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपने बयान मे कहा है कि टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी जबकि नक्शा नजरी मे आमने सामने की टक्कर दिखायी गई है अत: घटना फर्जी है और याची को कहीं अन्य जगह चोट आयी होगी और क्लेम पाने के लिए यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ को बाद मे सोच समझ कर रोपित किया गया है किंतु चूंकि पत्रावली पर विपक्षी सं. २ के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध है जिसका सम्यक खंड़न विपक्षी सं. १ व २ द्वारा नही किया जा सका है और बहुत संभव है कि अचानक हुए हादसे के सदमे के कारण याची न समझ पायी हो कि टैंकर ने पीछे से टक्कर मारी या आगे से; अत: मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि वाद बिंदु सं. १ सकारात्मक रूप से याची के पक्ष में तथा विपक्षी सं. १ व २ के विरुद्ध निर्णीत किया जाना चाहिए। तदनुसार वाद बिंदु सं. १ विपक्षी सं. १ व २ के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

८. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. २</u>

वाद बिंदु संख्या २ को साबित करने का भार विपक्षी संख्या १ व २ पर है किंतु विपक्षी संख्या १ व २ की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद बिंदु संख्या २ विपक्षी संख्या १ व २ के विरुद्ध इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि इस दुर्घटना में याची की कोई योगदाई लापरवाही नहीं थी।

९. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. ३</u>

वाद बिंदु संख्या ३ को साबित करने का भार विपक्षी संख्या १ व २ पर है किंतु विपक्षी संख्या १ व २ की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद बिंदु संख्या ३ विपक्षी संख्या १ व २ के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

१०. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. ४</u>

याची की ओर से पत्रावली पर प्रपत्र सं. १०सी१, यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। बीमा कं. ने इसे स्वीकार नही किया है और वाहन स्वामी या चालक द्वारा बीमा होने के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अत: यह साबित नही होता है कि दुर्घटना के समय यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ बीमित था। अतः वाद बिंदु संख्या ३ विपक्षी संख्या १ व २ के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

११. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. ५</u>

दुर्घटना के समय यू.पी. ७८ ए.एन. ८८५९ बीमित था यह स्पष्ट नही है। प्रस्तुत छाया प्रति प्रपत्र सं. २०बी/२ के अनुसार आर.सी. की वैधता समाप्त हो चुकी है तथा चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नही की गई है। स्थाई रूप से विकलांगता का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पी.डब्लू.१ ने यह साक्ष्य दिया है कि उसके दाहिने पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। पैर की हड्डी टूटने के समर्थन मे चिकित्सीय साक्ष्य प्रपत्र सं. २६सी१/११ पत्रावली

पर उपलब्ध है। त्वचा की ग्राफटिंग भी हुई है जिसके समर्थन मे चिकित्सीय साक्ष्य प्रपत्र सं. २६सी१/८ व २६सी१/५ व ४३सी१ पत्रावली पर उपलब्ध है। इलाज से संबंधित अनेंक बिल दाखिल किए गए हैं किंतु मात्र ₹१७,७७९ के बिल बीमा कं. द्वारा सत्यापित करा कर प्रस्तुत किए गए हैं जबकि इससे अधिक का व्यय होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। घायल पैर के फोटोग्राफ से चोट की गंभीरता भी दर्शित होती है। याची १ माह १९ दिन अस्पताल मे भर्ती रही है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त गंभीर चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट, पुष्टाहार, सहायक की सेवाओं के लिए खर्च, इलाज के लिए अवागमन पर खर्च व अस्थायी रूप से कार्य न कर पाने की हानि के मदों मे लमसम ₹५०,००० विपक्षी संख्या १ व २ से दिलाया जाना न्यायोचित होगा। इस पर ब्याज ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनॉक से दिलाया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका विपक्षी सं. १ व २ के विरुद्ध पृथक–पृथक व संयुक्त दायित्व के आधार पर आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹**५०,०००/– (पचास हजार**) मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. १ व २ को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से ६० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक १५.०२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया। निर्णय की सूचना पक्षकारों को दी जाए।

दिनॉक १५.०२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झांसी